न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री उत्सव कौशल, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 95/2019

उनवान

1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री धन्नालाल तेली निवासी नयासमेलिया तहसील व जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1. श्री लालु पुत्र नानू रेगर निवासी पीपली तहसील हमीरगढ मृतक के बजाय कायम मुकाम
2. श्री प्यारा पुत्र श्री कजोड रेगर निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. श्री मगना पुत्र श्री कजोड रेगर निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. श्री रामा पुत्र श्री कजोड रेगर निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. श्री मांगु पुत्र श्री कजोड रेगर निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. श्री बंशी पुत्र श्री नन्दा सुथार निवासी दर्री तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 15.03.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.10.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1187/2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आ0नं0 1187/5 रकबा 02 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.10.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इनत थ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1187/2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आ0नं0 1187/5 रकबा 02 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner